न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	रामकुमार बनाम [illegible] दावा [illegible] 33/2022	
	शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14-06-23 को पेश हो। [illegible] उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
14.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 19.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
19.06.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53 / 2022	2022 / 132	09.05.2022	19.06.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. रामकृपाल पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 46 वर्ष
2. बजृमोहन पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 37 वर्ष
3. रघुवीर पुत्र स्व. रमेशचन्द्र आयु 35 वर्ष
4. अन्नपूर्णा पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 42 वर्ष
5. ममता पुत्री स्व. रमेशचन्द्र आयु 41 वर्ष
6. शांति देवी पत्नी स्व. रमेशचन्द्र आयु 65 वर्ष
7. शिम्भूदयाल पुत्र श्री बदरीनारायण आयु 64 वर्ष
8. सन्तोष देवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द पुत्रवधू बदरीनारायण आयु 60 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज0

—वादीगण

बनाम्

1. कमला देवी पत्नि सायरमल आयु 80 वर्ष
2. कृष्णकान्त पुत्र श्री सायरमल आयु 60 वर्ष
3. महेन्द्र पुत्र श्री सायरमल आयु 58 वर्ष
4. महेश पुत्र श्री सायरमल आयु 45 वर्ष
5. विश्वनाथ पुत्र श्री सायरमल आयु 62 वर्ष
6. सीताराम पुत्र श्री सायरमल आयु 65 वर्ष

समस्त जाति पुरोहित निवासीगण ग्राम मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
8. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर
9. मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——**प्रतिवादीगण**

उपस्थित:—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा
53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1348, 1556, 1560 कुल किता 3 कुल रकबा 4.00 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसके 1/8 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 1 ता 6 के पिता/पति मृत्तक रमेशचन्द्र के एंव 1/8 हिस्से की खातेदारी वादी संख्या 7 के एंव 1/8 हिस्स की खातेदारी वादी संख्या 8 के नाम एंव 1/8 हिस्से की खातेदारी वादीगण की माता/दादी/सास मृत्तक फूली देवी पत्नी बदरीनारायण के नाम से अंकित है। इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है व शेष हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम से अंकित है। उक्त वर्णित भूमियों का [illegible] बंटवारा अर्सा करीबन 25-30 वर्षो पूर्व से ही किया हुआ हैं। उक्त [illegible] नम्बर 1556 रकबा 1.45 हैक्टर सम्पूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 1560 रकबा [illegible].42 हैक्टर सम्पूर्ण कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से व बंटवारे में आया हुआ हैं एंव भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 2.13 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के हक हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी हैं इसी अनुसार पक्षकारान अपने –अपने हिस्से व बंटवारे में आयी हुयी भूमियों पर उक्तानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं इसी अनुसार पक्षकारान द्वारा मौके पर सींव कायम कर मौके पर अलग–अलग विभाजित कर सींवडोल भी अलग–अलग लगी हुयी हैं। उपरोक्तानुसार कानूनी बंटवारा नही होकर खातेदारी अलग–अलग दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं तथा राज्य सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुख सुविधाओं से वादीगण को वंचित रहना पड़ता हैं इस कारण भी वादीगण के कब्जे काश्त व बंटवारे की भूमि का कानूनी बंटवारा किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक एंव न्यायोचित हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि का बंटवारा कराने हेतु कहां तो वे टालते रहे व आश्वासन देते रहे परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गयी हैं और वे भूमियों का विधिक बंटवारा कराने से आनाकानी करने लग गये। इसी कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। बिनाय दावा उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा बाबत् प्रतिवादीगण को पूर्व में कहां तो वे हां करते रहे और टालते रहे परन्तु अब उनके मन में बदनियति आ जाने से वे बंटवारा कराने से दिनांक 20.03.2022 को इन्कार कर दिया। संयुक्त खातेदारी का विधिक बंटवारा नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं तथा बंटवारा के अभाव में वादीगण अपने हक हिस्से व बंटवारे में आयी भूमियों का समुचित विकास नही कर पा रहे हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वादीगण को प्राप्त होने से वंचित रहना पड़ता हैं। खातेदार फूली देवी पत्नि स्व0 बदरीनारायण वादीगण की सगी माता व सास हैं, जिनका देहान्त हो गया हैं। वादीगण ही उसके वारिस हैं। वकील वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है :– कि भूमि खसरा नम्बर 1348, 1556 व 1568 किता 3 कुल रकबा 4.00 हैक्टर तन् ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में भूमि खसरा नम्बर 1556 रकबा 1.45 हैक्टर सम्पूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 1560 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

0.42 हैक्टर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 1.87 हैक्टर वादीगण के हक हिस्से व भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 2.13 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के हक हिस्से व बंटवारे में खातेदारी दर्ज कर पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स उपरोक्तानुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री पारित कर एक–दुसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाये जाने का आदेश पारित कर अलग–अलग रकबा कायम कर अलग से खातेदार व काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु वाद वास्ते तकासमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने साक्ष्य पेश नहीं किया। अतः साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पक्षकारान के मध्य हुए बंटवारे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवारा की डिक्री पारित कर बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कर मुताबिक डिक्री पारित कर एक–दुसरे के हिस्से से एक–दुसरे का नाम हटाये जाने का आदेश पारित कर अलग–अलग रकबा कायम कर अलग से खातेदार व काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में नक्शे [illegible] किये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत [illegible] सहमति प्रदान की । वकील वादीगण ने वादीगण व प्रतिवादीगण के राजस[illegible] हक हिस्से में दर्ज हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुसार विधिक विभाजन तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकासमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 19.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2807/रीडर/2023 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 834/भू.अ./2023 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादी ... अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। ... प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने – अपने हक हिस्से ... अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन ...कराये जाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 06 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 06 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 18.05.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. कमला देवी पत्नि सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार				

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	2. कृष्णकान्त पुत्र सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार 3. फूली देवी पत्नि स्व0 बदरीनारायण हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 4. महेन्द्र पुत्र सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार 5. महेश पुत्र सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार 6. रमेशचन्द्र पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 7. विश्वनाथ पुत्र सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार 8. शिम्भूदयाल पुत्र बदरीनारायण हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 9. सन्तोष देवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द्र हिस्सा 1/8 सा. देह खातेदार 10. सीताराम पुत्र सायरमल हिस्सा 1/12 सा. देह खातेदार	1348 1556 1560	2.1300 1.4500 0.4200	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1	13.14 8.95 2.59
योग खाता		किता – 3	4.0000	––	24.68

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:00 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. रामकृपाल, बृजमोहन, रघुवीर पि0 रमेशचन्द्र हिस्सा 1/6 2. अन्नपूर्णा, ममता पुत्रियां रमेशचन्द्र हिस्सा 1/9, 3. शांति देवी पत्नी रमेशचन्द्र हिस्सा 1/18 राहिन आई.सी. आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर 4. संतोष देवी पत्नि कैलाशचन्द्र हिस्सा 1/3 राहिन बी.आर.के. जी.बी. शाखा नाथूसर 5. शिम्भूदयाल पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित सा0 मउ	1556 1560	1.4500 0.4200		
	योग खाता	किता – 2	1.8700		
2	1. कमला देवी पत्नी सायरमल हिस्सा 1/6, 2. कृष्णकांत पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6	1348	[illegible]13		

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested

19/08/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	3. महेन्द्र पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 4. महेश पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 5. विश्वनाथ पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 6. सीताराम पुत्र सायरमल हिस्सा 1/6 समस्त जाति पुरोहित सा0 मउ					
	योग खाता	किता – 1	2.13			

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 834/भू.अ./23 दिनांक 18.05.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:09 IST
Reason: SelfAttested